Attchement 1.6

Annexure-1

FORM-1

(FOR LINEAR PROJECTS)

Government of Uttrakhand

Office at the district collector Champawat

No. 2954 Date : 14.5.19

To whom so ever it may concern

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) date 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.574** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Lok Nirman Vibhag, Champawat** (name of user agency) for **Constrution of Dhunghat-Basot motor road.**

(Purpose for diversion of forest land) in Champawat district falls within jurisdiction of **Dhunaghat, Basot & Melta village(s) in Pati Tehsil.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.574** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s) Gram Sabah(s) sub Division level committee(s) and the District level committee are enclosed as **annexure 23 to annexure 23.2 total 05 pages.**

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabah's have given their consent to it

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre agricultural communities.

Enclosure :- As above.

जिलाधिकारी
Signature
चम्पावत

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)

(Full name and official seal of the District Collector)

Attchement 1.6

प्रारूप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

Dsitrict Champawat (U.K.)

No. 295/I

Date : 14-5-2015

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other traditional forest Dwellers (recognition of right) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of **Champawat** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/~~Mrs/Miss~~ **Deependra Kumar Chaudhari** I.A.S deputy commissioner Champawat on dated 14-05-2015 at time 11:00AM at Champawat in which application claiming rights in **forest** area measuring **1.574 Hect.** for the **Constrution of Dhunghat-Basot motor road** forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Pati** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence district level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Champawat

Dated : 14-5-2015

जिलाधिकारी
चम्पावत
(DEEPENDRA KUMAR CHAUDHARI)
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

(10) A-1·6

प्रपत्र—23

परियोजना का नामः— जनपद-चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत घूनाघाट से बसौट मो०मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वन भूमि हस्तान्तरण पत्रावली,

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण--पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कमलेख

तहसील ....पाटी.......... जिला चम्पावत

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में जनपद चम्पावत में रा०यो० के अन्तर्गत स्वीकृत घूनाघाट-बसौट मो०मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वन भूमि हस्तान्तरण परियोजना परियोजना के निर्माण हेतु (......................

...

हे0 आरक्षित वन भूमि 0·0 1 8........हे0 सिविल सोयम भूमि 1·064 हे0,वन पंचायत भूमि 0·3 50 हे0) अर्थात कुल 1·432 हे0 वन भूमि का लो० नि० वि० ....विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कमलेख द्वारा दिनांक 2-1-2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई।यह कि वन अधिकार अधिनियम,2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही।उपस्थित सभी ग्राम वासियो द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है।इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कमलेख के वासियो को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/— [signature]
ग्राम सचिव
(Stamp: ग्राम पंचायत कमलेख, वि०ख०-पाटी (चम्पावत))

ह0/— गंगादेवी
ग्राम प्रधान
(Stamp: प्रधान, ग्राम पंचायत कमलेख, वि० ख० पाटी, चम्पावत)

नोटः—यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है।तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

A-1.6

(11)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 2-1-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कमलोरव

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	जगदीश चन्द्र	जगदीश चन्द्र
2-	मोतीराम	मोतीराम गहतोड़ी मैल्टा
3-	लक्ष्मीदत्त	लक्ष्मी दत्त मैल्टा
4-	तुलसी प्रशाद	तुलसी प्रसाद गहतोड़ी (मैल्टा)
5-	मुरलीधार	मुरलीधर गहतोड़ी मैल्टा
6-	जगदीश चन्द्र	जगदीश चन्द्र मैल्टा
7-	प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
8-	मदन सिंह.	मदन सिंह

A. 1.6

(8)

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धूनाघाट से बसौर मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वन भूमि प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, पाटी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, पाटी

उपखण्ड चम्पावत परिक्षेत्र के अन्तर्गत धूनाघाट से बसौर मोटरमार्ग हेतु (0.0175 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.064 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.35 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल ~~1.4325~~ 1.574 है0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पाटी) की दिनांक 2-1-2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अशोक जोशी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री अशोक जोशी उपजिलाधिकारी पाटी अध्यक्ष
2– श्री महिपाल सिंह सिरोयी उप प्रभागीय वनाधिकारी लोहाघाट सदस्य
3– श्री जी० एस० धनपाल सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी पाटी सदस्य / सचिव
4– श्री राजेन्द्र बोहरा बी0डी0सी0 क्षेत्र कमलेख (धूनाघाट) सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चम्पावत में राज्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धूनाघाट से बसौर मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.432 है0 वन भूमि प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, लोहाघाट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

A-1.6

(9)

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ...चम्पावत... परिक्षेत्र के अन्तर्गत ...छनागाड़ा से बसौट मोटर मार्ग निर्माण... परियोजना के निर्माण हेतु ...1.574... हे0 वन भूमि लो.नि.वि. चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील :
जनपद :

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी ...चम्पावत... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील :
जनपद :

राजस्व उपनिरीक्षक छनागाड़
तहसील–पाटी (चम्पावत)
दिनांक ....

तहसीलदार
पाटी
जनपद-चम्पावत

उपजिलाधिकारी
पाटी
जनपद-चम्पावत

उप प्रभागीय वनाधिकारी
लोहाघाट

वन क्षेत्राधिकारी देवीधुरा
रेंज देवीधुरा
चम्पावत वन प्रभाग